DR.MALA KUMARI
ASSISTANT PROFESSOR (GUEST TEACHER)
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
A.N.D COLLEGE SHAHPUR PATORY,SAMASTIPUR
B.A –PART 1 PSYCHOLOGY (HONS)
PAPER-2 ,UNIT-8,
MEASURES FOR CONTROLLING POPULATION GROWTH
LECTURE 55

जनसंख्या बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के उपाय

MEASURES FOR CONTROLLING POPULATION GROWTH

जनसंख्या विस्फोट की समस्या देश के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है |सरकार इस मामले में काफी सजग है ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए |इसके लिए कई तरह के प्रयास किये गए है जिनमे कुछ प्रमुख उपायों का वर्णन निम्नांकित है –

(I) कम आयु में विवाह पर नियंत्रण (BAN ON EARLY MARRIAGE)-जनसंख्या को कम करने का सीधा तरीका कम आयु में विवाह पर कानूनी नियंत्रण करने से है |शिक्षा के प्रसार से तथा साक्षरता स्तर में बढ़ोतरी होने

से इस दिशा में भारतीयों में कुछ चेतना अवश्य जगी है कि कम आयु में पुत्र एवं पुत्रियों की शादी न करे |सरकारी प्रयास भी इस सिलसिले में किये जा रहे है |विवाह की आयु अधिक होने से जनसंख्या बढ़ोतरी पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है | लड़कियों की शादी 22 वर्ष की आयु से नीचे नहीं तथा लड़कों की शादी 26 वर्ष की आयु से निचे नहीं की जानी चाहिए |इसके लिए सख्त क़ानून बनाकर सरकार को उसे क्रियान्वयन करना चाहिए |

(II) परिवार नियोजन के साधनों का आसान उपयोग (EASY APPLICATION OF FAMILY PLANNING MEASURES)- जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन के साधनों को आसानी से उपलब्ध कराना तथा उनके उपयोग के लिए प्रशिक्षण देना एक महत्वपूर्ण काम है |परिवार नियोजन के साधनों में गर्भ निरोधक गोलियों तथा कंडोम का उपयोग अन्य साधनों की अपेक्षा लोकप्रिय है |सरकार को इन साधनों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने की जरुरत है तथा उसके प्रति लोगो में सही मानसिकता विकसित करने की जरुरत है |परिवार नियोजन के अन्य साधनों जैसे लूप , जेली,झाग बाली

टिकिया आदि का भी प्रयोग के प्रति लोगों में सही मानसिकता जगाने की जरुरत है | इन साधनों को सस्ते दर पर तथा सभी प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराने की सरकारी जिम्मेवारी है |

(III) आर्थिक विकास (ECONOMIC DEVELOPMENT)-यदि देश का आर्थिक विकास होता है तो लोगो का सामान्य रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा ,साक्षरता स्तर में बढ़ोतरी होगी तथा परिवार नियोजनो के साधनों के प्रति सही मानसिकता जगेगी| अतः देश का आर्थिक विकास जनसंख्या बढ़ोतरी को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है |आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है की देश के उद्योग-धंधे तथा कृषि का समुचित विकास हो |इसके लिए पुनः सरकारी प्रयास तथा आम जनता में जागरूकता उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है |

(IV) वैधानिक प्रयास (LEGAL EFFORTS)-जनसंख्या बढ़ोतरी में नियंत्रण करने के लिए कुछ वैधानिक उपाय भी किया जाना चाहिए | राष्ट्रीय विकास परिषद की जनसंख्या संबंधी उपसमिति ने यह सुझाव दिया है जन प्रतिनिधित्व क़ानून में संशोधन करके जिन

व्यक्तियों को दो से अधिक संतान है ,उन्हें संसद तथा राज्य विधान सभा चुनावों के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए |यदि यह सुझाव स्वीकृत हो जाती है ,तो इससे जनसंख्या को नियंत्रित करने में अधिक मदद मिलेगी |इतना ही नहीं सरकार को चाहिए की ऐसे नवयुवकों को सरकारी नौकरी से वंचित रखे जो यह शपथ पत्र नहीं दाखिल करते हो की शादी के बाद उनके मात्र दो संतान होंगे | राजस्थान सरकार ने 1992में राजस्थान पंचायत एक्ट को संशोधित करके यह प्रावधान किया है जिन व्यक्तियों को दो से अधिक संतान है ,वे पंचायत के लिए चुनाव लड़ने योग्य नहीं है |यदि पंचायत सदस्य होने के पश्चात व्यक्ति की तीसरी संतान हो जाती है ,तो पंचायत की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी | इसी तरह के और भी कठोर वैधानिक उपायों के माध्यम से सरकार जनसंख्या पर अधिक-से-अधिक सफलता प्राप्त कर सकती है |

(V) विभिन्न उपाय (MISCELLANEOUS MEASURES)-

जनसंख्या में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के कुछ अन्य

विभिन्न उपाय भी है जिनमे निम्नांकित उल्लेखनीय है –

(1) उन राज्यों ,संस्थानों या व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो परिवार नियोजन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हो |

(2) जनसंख्या के सभी उपलब्ध माध्यमों जैसे रेडियो,दूरदर्शन तथा फिल्म आदि के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना|

(3) नसबंदी के लिए सीधे प्रोत्साहन देना |

(4) नसबंदी कराने वाले कार्यरत पुरुषों एवं महिलाओं को शीघ्र पदोन्नति देना |

(5) गर्भ निरोधक विषयों में शोध के लिए पुनर्बलन (rainforcement)देना |

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है की जनसंख्या में बढ़ोतरी को रोकने के लिए कई उपाय हैं|इस दिशा में सफलता के लिए यह आवश्यक है की इन सारे प्रयासों पर संयुक्त रूप से अमल किया जाये तथा उन्हें क्रियान्वित किया जाये |